इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

दुग्ध संयंत्र खरगौन से संबद्ध विपणन मार्ग पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा वर्ष 2023

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771
Phone : 0731-2811189, Fax No. 0731-2811559
Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा की समय–सारणी

1	ई–निविदा ऑन–लाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	**दिनांक 09.05.2023 दोपहर 12.00 बजे तक**
2	ई–निविदा ऑन–लाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**दिनांक 09.05.2023 दोपहर 12.00 बजे तक**
3	ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**दिनांक 10.05.2023 दोपहर 01.00 बजे**
4	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	**रू. 500/– (रू. पॉच सो मात्र)**
5	परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई–निविदा में जाने वाली ई.एम.डी. राशि	**रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र)**
6	परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें।	**प्रपत्र 01 एवं 02**
7	परिवहनकर्ता हेतु मार्ग की जानकारी	**प्रपत्र 03**
8	परिवहनकर्ता परिचय एवं संक्षिप्त विवरण फार्म	**प्रपत्र 04**
9	फाइनेंसियल बीड	**प्रपत्र 05**

ई–निविदा फार्म भरते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- **धरोहर राशि (EMD) केवल आनलाईन ही जमा की जावे।**
- **परिवहनकर्ता द्वारा ई–निविदा में आवश्यक दस्तावेजों को केवल ऑनलाईन ही अपलोड किए जावें।**
- **उपरोक्त तिथियों में यदि शासकीय अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में ई–निविदा खोली जावेगी।**

प्रपत्र क्रमांक – 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर ।

महोदय,

सॉची दूध एंव दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को इन्दौर से प्रकाशित पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा दर स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मेरे द्वारा ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/– (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) ऑन लाईन जमा कर दिए गए है।

तकनीकी अर्हताऐं

क्र0	आवश्यक अर्हता	विवरण
1	परिवहनकर्ता/ट्रासंपोर्टर का नाम,परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (यदि संस्था/फर्म आदि का पंजीयन का प्रमाण हो, तो संलग्न करें।)	समस्त चाहे गए दस्तावेजों को ऑन लाईन प्रस्तुत करें।
2	यदि कोई पार्टनर/ट्रासंपोर्टर हों तो उनका नाम व पता	
3	परिवहनकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
4.	परिवहनकर्ता/फर्म/कंपनी की ओर से कोई अन्य बतौर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है तो इस बारे में फर्म/कंपनी की ओर से विधिवत अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटार्नी संलग्न करना अनिवार्य है।	
5	निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक मण्डल के सदस्यों, दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से निकट के रिश्तेदार नही है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नही किया गया हो रू. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
6.	परिवहनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।	
7.	परिवहन कार्य हेतु उपलब्ध तापरोधी वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करें अथवा नया वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कर 30 दिवस के भीतर वाहन उपलब्ध करना होगा।	
8	परिवहनकर्ता के पास F.S.S.A.I (खादय लायसेंस) का होना आवश्यक है।	
9.	परिवहनकर्ता G.S.T. नंबर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	

नोट :–

1) **परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ कार्यालय में उपलब्ध करना अनिवार्य है अन्यथा कार्य आवंटन निरस्त किया जावेगा।**

2) **उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ई–निविदा निरस्त कर ई.एम.डी. राशि राजसात की जा सकेगी।**

हस्ताक्षर ————————————————
नाम :– ————————————————
स्थाई पता :– ————————————————
टेलीफोन नं. ————————————————
मोबईल नं ————————————————
ई–मेल नं. ————————————————
फैक्स नं. ————————————————

प्रपत्र क्रमांक – 2

सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवश्यक शर्ते :

1. निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाकर प्रपत्र को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
2. आवेदक को ऑनलाईन राशि रूपये 10,000/– (अक्षरी दस हजार रूपये) अर्नेस्टी मनी के रूप में जमा करना होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नही किया जावेगा। अतः ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. असफल निविदाकारों की ईएमडी राशि एम.पी. टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
4. निविदाकार के पास स्वयं के नाम का इंश्युलेटेड वाहन (तापरोधी) होना आवश्यक है यदि आवेदनकर्ता नया वाहन क्रय करना चाहता है तो रू 100/– के स्टॅाम्प पेपर पर शपथ–पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें। इन्सयुलेटेड (तापरोधी) वाहन मॉडल वर्ष **2018** अथवा उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना चाहिए **वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ** से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
5. परिवहन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तापरोधी वाहन का सत्यापन स्थानीय कमेटी से करवाना अनिवार्य होगा।
6. सफल निविदाकार को तापरोधी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
7. संयंत्र विपणन डाक से वाहन डिस्पेच होने के उपरान्त किसी भी प्रकार का लीकेज एवं दुग्ध की मात्रा में कमी पायी जाने पर परिवहनकर्ता से वसूली की जावेगी।
8. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकर्ता को निर्धारित प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य है।
10. यह कि अनुबंधित अवधि मे डीज़ल की दरो मे जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार ही परिवहन दरो मे भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी।
11. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी. राशि) राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही संबंधित विपणन मार्ग की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
12. भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा। दुग्ध उत्पाद परिवहन की दर समस्त कर सहित होगी, जो शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार रहेगी।
13. विपणन मार्ग पर दुग्ध प्रदाय हेतु प्रतिदिन निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध करेंगे तथा प्रतिदिन की वापसी खाली क्रेटों को संयंत्र स्तर पर दिये गये निर्धारित समय पर जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा खाली क्रेट वापसी विलम्ब की स्थिति में आपके देयकों से नियमानुसार पेनल्टी लगायी जावेगी तथा खाली क्रेट बकाया रहने पर क्रेट मूल्य के आधार पर कटोत्रा किया जावेगा।
14. दुग्ध संयंत्र से संबंद्ध विपणन परिवहन मार्गों पर वास्तविक संचालन व्यय से कम दरें प्राप्त होने पर निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें/ई–निविदा निरस्त की जावेगी।
15. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध राशि रू. 1,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाम्प निष्पादित करना होगा।
16. किसी भी विपणन मार्ग की ई–निविदा को बिना कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
17. निविदाकर्ता/निविदा दरों में वर्तमान डीजल दरों एवं मार्गो में पड़ने वाले टोल टेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवेदन अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा तथा

भविष्य में अनुबंधित मार्गो पर खुलने वाले टोल टेक्स का भुगतान हेतु निर्णय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।

18. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में राशि रू. 20,000/– (अक्षरी राशि रू. बीस हजार मात्र)। प्रतिभूति राशि जमा कराना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा RTGS अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ईएमडी राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा।

19. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता को कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि में एक–एक वर्ष कर दो बार की वृद्धि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

20. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि भी राजसात की जा सकेगी।

21. निविदाकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदाकर्ता इन्दौर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/संचालक मंडल के किसी सदस्य/इन्दौर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित नही है तथा आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/इन्दौर दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा ई.एम.डी./प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

22. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत इंश्यूलेटेड (तापरोधी) वाहनों की संघ के निर्धारित मापदण्ड अनुसार समय–समय पर वाहनो का इंश्यूलेशन गठित समिति द्वारा चेक किया जावेंगा। यदि निर्धारित मापदण्ड अनुसार इंश्यूलेशन नही पाया जाता है तो परिवहनकर्ता का आवेदन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर परिवहनकर्ता को ब्लेक लिस्टेड करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।

23. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय मे कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति मे आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

24. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।

25. निविदाकर्ता को प्रतिनिधि भेजने की दशा में प्रतिनिधि को इस निविदा हेतु अपना अधिकार पत्र निविदाकर्ता से प्रमाणित कराकर आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ऐसे निविदाकर्ता की आवेदन जिनके द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नही किया जावेंगा उनकी आवेदन मान्य नही की जावेंगी।

26. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि मार्ग पर चलने वाली वाहन को बंद करना चाहते है तो 03 माह पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

27. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात वाहन मे G.P.S. सिस्टम स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से लगाना होगा तथा उसका एक्सेस पासवर्ड दुग्ध संघ को उपलब्ध करना होगा।

28. सफल निविदाकार को विपणन मार्ग पर वर्तमान एवं भविष्य मे संचालित समस्त एजेंसियों/पार्लरों पर मांग अनुसार सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करना होगा।

29. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा हेतु समस्त शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 29 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

विपणन मार्ग की जानकारी

1. दुग्ध संयंत्र खरगौन से सम्बद्ध विपणन परिवहन मार्ग :–

क्र.	विपणन मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार एवं क्षमता	विपणन मार्ग की दूरी (आना–जाना)	प्रदाय दूध की मात्रा	ई–निविदा में प्रस्तुत तापरोधी वाहन की दर प्रति किलोमीटर
1.	खरगोन दामखेडा बनिहार पीपरी गंधावाड	टाटा ACE क्षमता 100 क्रेट	100 किलोमीटर	1200 लीटर	दर प्रति किलोमीटर

❖ सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता का संक्षिप्त परिचय एवं विवरण

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे

1.	निविदाकर्ता का नाम	■	––––––––––––––––––––
2.	पिता / पति का नाम	■	––––––––––––––––––––
3.	जाति	■	––––––––––––––––––––
4.	स्थाई पता (प्रमाण सहित)	■	–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
5.	वर्तमान व्यवसाय का पता	■	–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
	(अ) दूरभाष नं.	■	....
	(ब) मोबाईल नं.	■	....
6.	शैक्षणिक योग्यता	■	––––––––––––––––––––
7.	निविदा / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।	■	–––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
8.	वर्तमान व्यवसाय	■	––––––––––––––––––––
9.	वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे)	■	––––––––––––––––––––

10.	वित्तीय स्थिति(बैंक खाता नं.)	▪	————————————————
	(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा।		– –
	(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि।		– – – – – – – – – – – – –
11.	धरोहर राशि।	▪	रू.– – – – – – – – – – – –

दिनांक – .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

पूरा नाम ....

फाइनेंशियल बीड (प्रारूप)

आवेदन में सम्मिलित विपणन मार्ग हेतु समस्त करों–व्ययों/टोल टैक्स सहित दरें प्रस्तुत करें।

1. दुग्ध संयंत्र खरगौन से सम्बद्ध विपणन परिवहन मार्ग :–

क्र.	विपणन मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार एवं क्षमता	विपणन मार्ग की दूरी (आना–जाना)	प्रदाय दूध की मात्रा	ई–निविदा में प्रस्तुत तापरोधी वाहन की दर प्रति किलोमीटर
1.	खरगोन दामखेडा बनिहार पीपरी गंधावाड	टाटा ACE क्षमता 100 क्रेट	100 किलोमीटर	1200 लीटर	दर प्रति किलोमीटर

नोट :–

1. *उपरोक्त विपणन मार्गो हेतु परिवहन दरें केवल प्रति कि.मी. में तापरोधी वाहन हेतु आनलाईन ही प्रस्तुत की जावे, अन्य आधार पर दरें प्राप्त होने की दशा में ई–निविदा निरस्त की जावेगी।*
2. *परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।*

हस्ताक्षर/सील
हैसियत

☙ अनुबंध पत्र ❧

यह अनुबंध आज दिनांक .... को **प्रथमपक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, ए.बी. रोड, इन्दौर (**जिन्हें आगे इस अनुबन्ध लेख में प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ कहा गया है**)** एवं द्वितीय पक्ष श्री .... पिता श्री ...., निवासी–.. मोबाईल नंबर .... (जिन्हें आगे इस अनुबन्ध लेख में द्वितीयपक्ष/परिवहन ठेकेदार कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया गया। परिवहन ठेकदार द्वारा मुख्य संयंत्र इन्दौर डाक से .... विपणन मार्ग पर संचालित होकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण परिवहन मार्ग की दुरी .... किलोमीटर (जाना–आना) केन्द्रो तक दूध पैकेट एवं दुग्ध पदार्थ सामग्री मय क्रेट के पहुंचाकर सुपर्द करना एवं आपसी में खाली क्रेट मुख्य डेयरी संयंत्र इन्दौर तक परिवहन करने के वास्ते अपने निजी वाहन क्रमांक **---------------** मॉडल .... (क्रेट क्षमता ....) से स्वीकृत परिवहन दर .... प्रति किलोमीटर समस्त कर सहित तापरोधी वाहन से आवंटित क्षेत्र में पूर्णतः अस्थायी रूप से वितरण कार्य करना एवं वापसी में रिक्त क्रेटे लाकर जमा करना स्वीकार किया है। इस अनुबन्ध की अवधि .... से .... (अर्थात् .... वर्ष) के तहत् निम्न शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व परिवहन ठेकेदार कार्य सम्पादित करेंगे।

1. यह अनुबन्ध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबन्ध है तथा इसके तहत् परिवहनकर्ता को एक माह पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायलीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबन्ध के तहत् कार्य नही करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को तीन माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।

2. यह कि ठेकेदार होने पर ठेकेदार निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर अपने निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दुरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाये गये केन्द्रों में केन्द्र बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।

3. यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने सम्बन्धी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रो से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर दुग्ध संयंत्र, इन्दौर में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।

4. (अ) परिवहन ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेयरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही क्रेट डेयरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की कीमत की राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।

   (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा परिवहन ठेकेदार को चालान में दर्शायी गयी मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाये जाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी एवं इसी प्रकार किसी कारणवश विक्रय केन्द्रों से वापस रिटर्न होने वाले दूध को एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लान्ट में वापस करनी होगी। रिटर्न दूध करने वाले प्रदायकर्ता को प्राप्ति रसीद देना होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पायी गयी तो दूध की मात्रा के समतुल्य राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

5. यह कि ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। परिवहन ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में परिवहन ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर वितरण कार्य सम्पन्न करे अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो

वह परिवहन ठेकेदार से वसूली योग्य होगी। ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके परिवहन ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

6. यह कि वाहन की खराबी अथवा परिवहन ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दूध एवं दुग्ध पदार्थ खराब होने पर या टूट फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व वाहन परिवहन ठेकेदार का रहेगा।

7. यह कि परिवहन ठेकेदार पर पखवाड़े में एक दिन इन्दौर कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो परिवहन ठेकेदार को मान्य करनी होगी।

8. यह कि उक्त स्वीकृत परिवहन ठेका दुग्ध संयंत्र इन्दौर से सम्बन्धित वितरण मार्ग के लिये स्वीकृति किया गया है, अतः प्रबन्धक, दुग्ध संयंत्र इन्दौर द्वारा कार्य से सम्बन्धित दिये गये तत्कालिक आदेश/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रकरण में उनके द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर के पास सुरक्षित है। इसमें परिवहन ठेकेदार का कोई भी कारण/आवेदन मान्य नही किया जावेगा।

9. यह कि परिवहन ठेकेदार अपने वाहन से दूध व दुग्ध पदार्थ एवं क्रेट/केन भरकर उतनी ही मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट चालान में दर्शायी गयी है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध–दुग्ध पदार्थ पैकेट/दूध वाहन में पाया जाता है तो उस अतिरिक्त मात्रा का 100 गुणा राशि से दण्डित किया जावेगा। अन्य कोई भी वसूली परिवहनकर्ता के देयक से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

10. यह कि परिवहन ठेकेदार/वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स केन लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध–दुग्ध पदार्थ की रकम परिवहन ठेकेदार से वसूल की जावेंगी।

11. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्रों पर भेजे गये दुग्ध को परिवहन ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगें। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध एवं दुग्ध पदार्थो की कीमत से दुगनी कीमत वसूल की जावेगी।

12. यह कि परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी परिवहन ठेकेदार की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाने के समय यदि प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध, संघ प्रयोगशाला में परिपेक्ष मे जाँच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित की पुष्टि हुई तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर को होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

13. यह कि परिवहन वाहन ठेकेदार द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परिक्षण में जाँच की प्रथम दृष्टि से अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

14. यह कि परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर कर्मचारी को कार्य से ठेकेदार को तुरन्त हटा देना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लेकलिस्ट में लगाया जावेगा।

15. डेयरी डाक पर परिवहनकर्ता छांटकर दूध का पैकेट लेगा एवं पाईन्टों पर अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के उपरान्त विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरान्त ही रिटर्न दूध के पैकेट वापस लिये जा सकेंगें।

16. यह कि दुग्ध संयंत्र, इन्दौर के सुरक्षा गार्ड द्वारा जाँच करने की दशा में ठेकेदार के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का र्दुव्यवहार नहीं किया

जावेगा व उसके पूर्ण जाँच किये जाने में सहयोगे देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जाँच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

17. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो ठेकेदार से रूपये 100/- **(अक्षरी रूपये सौ मात्र)** प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों मे वाहन यदि निर्धारित समय में 15 मिनट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा। उसका दुगुना **(जो भी अधिक देय हो)** ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिये अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उतने दिन के लिये उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रूपये 200/- **(अक्षरी रूपये दो सौ मात्र)** पृथक से वसूल किया जावेगा।

18. यह कि दूध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेयरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात् रूपये 100/- प्रति घण्टा विलम्ब आने के लिये पेनल्टी के रूप में आपके बिल से कटौत्री की जा सकेगी।

19. यदि वाहन ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक (विपणन) की लिखित में अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि (15) दिवस की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर होगा।

20. यह कि ठेकेदार का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था ठेकेदार करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी इस हेतु जानकारी कार्यालय को देनी होगी।

21. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध या दुग्ध क्रेटों से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहर व्यक्तियों का या अन्य सामान को नही ले जा सकेगा।

22. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, ठेकेदार को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक संघ में जमा करना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक चैक द्वारा किया जा सकेगा।

23. ई-निविदा में वर्णित समस्त शर्ते इस अनुबन्ध का भाग मानी जावेगी।

24. ठेके की शर्तो एवं अवधि दिनांक .... से दिनांक .... अर्थात् तीन वर्ष के लिये पूर्णतः अस्थायी रूप से प्रभावशाली रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबन्ध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्यावधि में एक-एक वर्ष कर दो बार की वृद्धि आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

25. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

26. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा और न उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त कर जमा प्रतिभूति एवं अंतिम देयक की राशि संघ हित में राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।

27. इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को बकाया देय रकम परिवहन ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।

28. डेयरी की परिधि के अन्दर आने वाले वाहन निर्धारित **(20 कि.मी.)** की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डेयरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावें। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 100/– ठेकेदार का जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।

29. ठेकेदार द्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में ठेका अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा वाहन चलाने के लिये असमर्थता की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ठेकेदार की निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

30. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।

31. ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में माननीय प्रबंध संचालक महोदय, म.प्र. को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

32. उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर सुरक्षित रखता है।

33. वाहन ठेकेदार को क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अन्दर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार के देयके से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटोत्रा होने के पश्चात् काटी गयी राशि वापस नही की जावेगी।

34. ठेकेदार खाली क्रेटों का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नही होगी इसके लिये स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

35. निविदाकर्ता/निविदा दरों में वर्तमान डीजल दरों एवं मार्गो में पड़ने वाले टोल टेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवेदन अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा तथा भविष्य में अनुबन्धित मार्गो पर खुलने वाले टोल टेक्स का भुगतान हेतु निर्णय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।

36. परिवहन वाहन ठेकेदार के अनुबन्ध की सभी अथवा किसी भी निबंधन की शर्तो के भंग करने पर इस अनुबन्ध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये इन्दौर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, इस प्रकार के अनुबन्ध के निरस्त होने के सूरत में ठेकेदार द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास जमा करायी गयी प्रतिभूति निक्षेप राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबन्ध के निरस्त होने के कारण इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो कि ठेकेदार से वसूल की जानी है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

37. वाहन ठेकेदार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर का नाम मात्र सदस्य बनेगा एवं इस अनुबन्ध से सम्बन्धित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. के न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।

38. यह कि, अनुबन्धित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार ही परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जावेगी।

39. भविष्यनिधि अधिनियम तथा कर्मचारी राजय बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा

उन कर्मचारियों की भविष्यनिधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की सम्बन्धित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी।

40. दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित उत्पादों को उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाये रखने वास्ते ठेकेदार इंश्यूलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध करायेगा, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

41. यह कि ठेकेदार अपने तापरोधी वाहन के वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेन्स एवं हेल्पर का आई.डी. प्रुफ ठेका प्राप्त होने के उपरान्त संघ कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करायेगा, साथ ही वाहन मॉडल का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संघ में जमा कराना आवश्यक होगा।

42. यदि कार्य संपादन निरापित करने में वाहन ठेकेदार संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नही पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य समापन न करने की अक्षमता के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति वास्ते पूर्णरूपेण स्वतंत्र होगा।

43. दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिये पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा।

44. आपातकालीन स्थिति यथा नदी–नाले चढ़ने पर मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नही होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घण्टे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटोत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

45. यह कि द्वितीयपक्ष यदि मार्ग पर चलने वाली वाहन को बंद करना चाहता है तो तीन माह पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

46. यह कि संपादित अनुबन्ध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से पूर्ण अवधि तक प्रभावशील माना जावेगा।

47. निविदाकार के पास स्वयं के नाम का इंश्युलेटेड वाहन (तापरोधी) होना आवश्यक है यदि आवेदनकर्ता नया वाहन क्रय करना चाहता है तो रूपये 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें। इन्सयुलेटेड (तापरोधी) वाहन मॉडल वर्ष 2018 अथवा उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।

48. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में राशि रूपये 20,000/– (अक्षरी रूपये बीस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि जमा करना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा आर.टी.जी.एस. अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ईएमडी राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा।

49. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से लगाना होगा तथा उसका एक्सेस पासवर्ड दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगा।

50. समस्त न्यायालयीन विवादों के प्रसंग में न्यायिक क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

51. यह कि प्रथमपक्ष/दग्ध संघ द्वारा द्वितीयपक्ष/परिवहन एजेन्ट के कार्य अवधि के दौरान दिये गये वितरण परिवहन सम्बन्धी आदेश/निर्देश/परिपत्र एवं ई–निविदा की शर्ते भी अनुबन्ध का अंग माने जावेंगें। आदेश/निर्देश/परिपत्र/पत्र अनुसार परिवहन कार्य करना अनिवार्य होगा।

इस अनुबन्ध पत्र की शर्त क्रमांक 01 से 51 तक सभी शर्तो को उभय पक्षों ने अच्छी तरह से पढ एवं समझकर आपसी सहमति के आधार पर दुग्ध संघ कार्यालय में हस्ताक्षर किये है, अनुबन्ध लेख दिनांक .... से तीन वर्षो अथवा (किन्ही भी कारणवश अनुबन्ध पत्र का नवीनीकरण नही होने की दशा में) बढ़ायी गयी कार्य अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

मैं .... पिता श्री ...., साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती .... को घोषित करता हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथमपक्ष)	हस्ताक्षर (द्वितीयपक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	(श्री .... श्री ....)
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.,	निवासी – ....
इन्दौर	(परिवहनकर्ता)

गवाह

1. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पिता	पिता ....
पता	पता ....
....	....